इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 553] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2022—आश्विन 14, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2022

क्र. 15012-245-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 अक्टूबर, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०२२

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२२

[दिनांक ३ अक्टूबर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ६ अक्टूबर २०२२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा ९ में उपधारा (१) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए,—

"(ग) दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में बारह से अनधिक व्यक्ति तथा दस लाख से कम जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों में आठ से अनधिक व्यक्ति जिनके पास नगरपालिक प्रशासन का ज्ञान अथवा अनुभव हो, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :

परन्तु केवल नगरपालिक क्षेत्र के भीतर निवास करने वाला व्यक्ति और जो पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए अन्यथा अपात्र न हो, नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा.".

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा १९ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए,—

"(ग) नगरपालिक परिषद् की दशा में छह से अनधिक व्यक्ति तथा नगर परिषद् की दशा में चार से अनधिक व्यक्ति, जिनके पास नगरपालिक प्रशासन का ज्ञान अथवा अनुभव हो, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :

परन्तु केवल नगरपालिक क्षेत्र के भीतर निवास करने वाला व्यक्ति और जो पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए अन्यथा अपात्र न हो, नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा.".

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2022

क्र. /245-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 23 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 23 OF 2022

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2022

[Received the assent of the Governor on the 3rd October, 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th October, 2022.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh NagarpalikVidhi (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2022. **Short title.**

PART—I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (NO. 23 OF 1956)

2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), in Section 9, in sub-section (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) not more than twelve persons in the Municipal Corporations having population of more than ten lakhs and not more than eight persons in the Municipal Corporations having population of less than ten lakhs, having knowledge or experience in the municipal administration, nominated by the State Government:

Provided that only a person residing within the municipal area and being otherwise not ineligible for election as Councillor may be nominated;".

PART—II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (NO. 37 OF 1961)

3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), in Section 19, in sub-section (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) not more than six persons in case of Municipal Councils and not more than four persons in case of Nagar Parishads having knowledge or experience in the municipal administration, nominated by the State Government:

Provided that only a person residing within the municipal area and being otherwise not ineligible for election as Councillor may be nominated;".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित– 2022